अत्यावश्यक

पंचायत उप-निर्वाचन, 2023

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या - पं.नि. 30-52/2023 - 3069

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 25.8.23

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2023 : रिक्त पदों की विवरणी उपलब्ध कराने एवं तदनुसार मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2663 दिनांक 19.07.2023 एवं पत्रांक 2882 दिनांक 08.08.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायत उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से विविन्न कारणों से रिक्त पदों की अद्यतन विवरणी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

विदित है कि आयोग के प्रसंगिक पत्र 2882 दिनांक 08.08.2023 द्वारा जिलों से प्राप्त रिक्तियों को समेकित करते हुये मतदाता सूची तैयार करने का निदेश दिया गया है। सन्दर्भित पत्र में मतदाता सूची तैयार करने संबंधी कार्य आरम्भ करने से पूर्व तक यदि कोई पद रिक्त हो गया है, तो उसे सम्मिलित कर आयोग को अविलम्ब अवगत कराया जाय।

उक्त पत्र के आलोक में मतदाता सूची तैयार करने का कार्य आरम्भ करते हुये अतिरिक्त रिक्त पदों की विवरणी/संशोधित विवरणी जिला द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त सभी रिक्त पदों को समेकित कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। समेकित रिक्त पदों पर ही आगामी उप-निर्वाचन कराये जाने के निमित्त अधिसूचना निर्गत करने हेतु आयोग द्वारा सरकार को अनुशंसा किया जाना है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि -

(क) जिला स्तर से आयोग कार्यालय को भेजे गये रिक्ति की समेकित विवरणी का **भली-भाँति मिलान** करते हुये पत्र प्राप्ति के **2 (दो) दिनों के अन्दर** आयोग को संसूचित की जाय। यदि कोई विसंगति हो तो उसे अंकित करी दी जाय। जिला से दिनांक 27.08.2023 तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह समझा झायगा कि संकलन में कोई त्रुटि नहीं है, तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी एवं तदुपरान्त निर्वाचन अधिसूचना में यदि किसी प्रकार की **विसंगति** आती है तो इस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

(ख) पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र आयोग को भेजी जाय कि ``प्रतिवेदित सभी रिक्त पदों से संबंधित मतदाता सूची की तैयारी की जा रही है।``

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,
25/8/23
सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-52/2023 – 3069 पटना, दिनांक – 25.8.23

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

25/8/23
सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-52/2023 – 3069 पटना, दिनांक – 25.8.23

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/23
सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-52/2023 – 3069 पटना, दिनांक – 25.8.23

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/23
सचिव।